Gmail

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com>

आपके वाद संख्या A-20250600374 की ऑनलाइन सुनवाई हेतु माध्यम/ लिंक है : https://upsic.up.gov.in/cispu/onlinehearing/d9a8b8 उक्त वाद संख्या A-20250600374 की ऑनलाइन सुनवाई दिनांक 15/06/2026 समय 12:30 PM बजे से 02:00 PM बजे तक की जाएगी | - CATS UPSIC

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com> 14 June 2026 at 12:05
To: SHAKUNTALA GAUTAM <hearingcourts9.upic@up.gov.in>
Cc: Dmmir Dmmir <dmmir@nic.in>

REJOINDER AND FINAL REPRESENTATION AGAINST EVASIVE AND ELEVENTH-HOUR DISCLOSURES BY THE RESPONDENTS

Most Respectfully Showeth:

1. Procedural History & Brief Background

- The original RTI application was filed on **02/02/2025** regarding the highly irregular lease extension of prime municipal land to a private entity (Lions Club/School) at a token rate of ₹50 per annum.
- For nearly **500 days**, the respondents completely discarded the statutory mandate of Section 7(1). The application was illegally transferred under Section 6(3) to Mirzapur after an unpardonable delay of 177 days on **29/08/2025**.
- Following the strict directions of this Hon'ble Commission during previous hearings, the PIO, Nagar Palika Parishad, Mirzapur, hastily dispatched a response via Letter No. **99/RTI/2026-27** dated **12/06/2026** (just 3 days prior to tomorrow's hearing) *(Verbatim as per documents img020.jpg & img021.jpg)*.

2. Truncated and Evasive Nature of the Late Disclosure

The Appellant acknowledges that the PIO has attached Government Order No. 1762(1)/Nine-8-2019 dated 27.06.2019 *(Verbatim as per documents img022.jpg & img023.jpg)*. However, this disclosure is heavily truncated to shield high-level irregularities and fails to answer the core points of the RTI query:

- **Failure on Point 2 (File Notings & Communications):** The Appellant sought the complete communication trail and internal file notings that overrode the Mirzapur Board's two consecutive eviction resolutions. Dumping a final copy of a G.O. does not satisfy the statutory mandate to reveal internal recommendations and processing sheets.
- **Failure on Point 5 (Primary Representations):** The PIO has completely suppressed the copy of the written representation submitted by the Lions Club management upon which the state administration initiated this protective action.

3. Serious Discrepancies and Undervaluation of Public Land Size

The Appellant draws the urgent attention of the Hon'ble Commission to a stark contradiction that hints at deep institutional concealment:

- In an official report sent to the District Magistrate, Mirzapur, dated **13/12/2023** (Letter No. 779/Sa.Pr.), the Executive Officer (EO) explicitly stated that the area allocated to the Lions Club was **approximately 12,000 square feet**.
- Contrarily, the Principal Secretary's G.O. dated 27.06.2019 (**img022.jpg**) and the 1980 lease deed explicitly trace the lease size as **62,606 square feet**.
- This discrepancy proves that local officers are actively providing conflicting data to downplay the scale of encroachment by over **50,000 square feet**, demonstrating why an inspection of the original state secretariat files is absolutely necessary.

4. The 9-Year Interregnum Black Hole (2010–2019)

- The original lease expired on **04/02/2010**, and the lease extension was signed on **27/06/2019**.
- For nearly a decade, the private entity occupied this massive estate without any valid lease. The provided documents are completely silent on **how the financial arrears for these 9 years were assessed and realized**. Based on the state committee's valuation of the land at **₹67.4 Crores** (with a 10% annual rental potential of ₹67.4 Lakhs), the missing file notes directly hide a multi-million rupee revenue deficit to the public exchequer.

5. Exposure of Corporate-Scale Commercial Profiteering on Public Assets

The State Government used the welfare of **2,500 students** as an emotional shield under Section 34 of the UP Municipalities Act, 1916, to quash the local body's eviction drive. However, the commercial reality of this "charity" is staggering:

- **Student Strength:** 2,500 students.
- **Monthly Tuition Fees:** Exceeds ₹3,000 per student. (Yielding **₹9 Crores annually**).
- **Admission Fees:** Exceeds ₹30,000 per student at entry points (Nursery, 6th, 9th, 11th). (Yielding an additional **₹75 Lakhs annually**).
- **Total Gross Revenue:** This private society draws an estimated **₹9.75 Crores per annum** using subsidized public municipal land meant for a free children's park. They do not need the "blessings" or protections of state subsidies, yet the internal note sheets are being hidden to protect this profit machine.

PRAYER FOR RELIEF

In light of these heavily engineered, incomplete late dispatches, the Appellant humbly prays that the Hon'ble Commission may be pleased to:

1. **Reject the Information as Complete:** Declare the late reply dated 12/06/2026 as incomplete and evasive regarding Points 2, 3, and 5 of the RTI application.
2. **Compel Immediate Production of File Notings:** Directly order the primary custodian, **PIO, Nagar Vikas Vibhag, Section-6, Lucknow**, to provide certified, unedited copies of the internal note sheets (टिप्पणी प्रपत्र) and communications detailing the 9-year arrear calculation and the decision to override the local board.
3. **Impose Maximum Statutory Penalty:** Impose a penalty of ₹25,000 under Section 20(1) on the responsible PIO for an unpardonable delay of nearly 500 days and for intentionally executing a jurisdictional run-around to delay justice.
4. **Order a File Inspection:** Allow the Appellant a formal physical inspection of the original lease renewal files at the Lucknow Secretariat under the oversight of the Commission to bring the true land parameters to light.

Respectfully Submitted,

Yogi M. P. Singh

(Appellant / Human Rights Defender)

Mohalla-Surekapuram Colony, Jabalpur Road, Mirzapur, U.P. – 231001

Mobile: 7379105911

Email: yogimpsingh@gmail.com

Date: 14/06/2026

On Fri, 29 May 2026 at 15:44, SHAKUNTALA GAUTAM <hearingcourts9.upic@up.gov.in> wrote:

---

3 attachments

PIOreply.pdf
208K

municipality land lease.pdf
1016K

RTIApplication.pdf
178K

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर

पत्रांक : 99 / ज0सू0अ0 / 2026–27 दिनांक : 12 / 06 / 2026

सेवा में,

श्री योगी एम0पी0 सिंह
पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह
नि0– सुरेकापुरम कालोनी,
जलबपुर रोड, मीरजापुर।

विषय : आनलाइन आरटीआई दिनांक 02.02.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, प्रस्तुत आवेदन के कम में सम्बन्धित विभाग से वांछित सूचना की मांग की गयी, जिसके कम में कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय पत्र सं0–165 / वि0रा0 / 2026–27 दिनांक 12.06.2026 द्वारा वांछित सूचना प्राप्त करायी गयी है, जो साथ में संलग्न हैं।

अतः उपरोक्त संलग्नक के अनुसार वांछित सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

जनसूचना अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
मीरजापुर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मीरजापुर

पत्रांक :–165/वि0रा0/2026–27 दिनांक – 12/06/2026

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
मीरजापुर।

विषय–: श्री योगी एम0पी0 सिंह निवासी सुरेखापुरम कालोनी, जबलपुर रोड सिटी जनपद मीरजापुर के अपील सं0 S09/A/1383/2025 लखनऊ के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपील संख्या S09/A/1383/2025 व पंजीकृत संख्या A–20250600374 के क्रम में निर्गत नोटिस संख्या 202605S09N300696 दिनांक 26.05.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अपीलकर्ता श्री योगी एम0पी0 सिंह पता सुरेखापुरम कालोनी, मीरजापुर पिन–231001 के क्रम में सादर अवगत कराना है कि लायंस स्कूल वर्ष 1980 में नगर के बच्चो को उत्तम शिक्षा व स्वास्थ्य प्रद वातावरण देने के लिए तत्कालीन समय में लीज पर दिया गया था। कालान्तर में कतिपय शिकायतो के दृष्टिगत लीज को नगर पालिका परिषद मीरजापुर द्वारा निरस्त कर दिया गया था। स्वाभाविक रूप से किसी भी पक्ष को अनुतोष हेतु समक्ष प्राधिकार के समक्ष प्रत्यावेक्ष देने का अधिकार है, जिसका उपयोग करते हुए राज्य सरकार के समक्ष लायन्स स्कूल/क्लब द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर शासन द्वारा विचारोपरान्त नवीनीकरण शासनादेश संख्याः– 1762(1)नौ–2019 दिनांकित 27.06.2019 किया गया।

उपर्युक्त विषयक संदर्भ मे सादर अवगत कराना है कि श्री योगी एम0पी0 सिंह निवासी सुरेखापुरम कालोनी जबलपुर रोड, मीरजापुर द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंर्तगत मागी गयी सूचना निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मॉगी गई सूचना	प्राप्त करायी जाने वाली सूचना
1.	Provide the copy of the lease extened by the government for thirty years.	शासनादेश दिनांक 27.06.2019 की छायाप्रति संलग्न है।
2.	Provide the details of public staff, communications exchanged which superseded the proposal of municipality Mirzapur city to cancel the lease as its terms and conditions were broken by lease holder.	उत्तर संख्या 1 में निहित है।
3	Provide the reason as required under subsection 1 d of section 4 of the right to information act 2025 of rejecting the legal and justified proposal of the board of the municipality Mirzapur City concerned with the wide public interest.	उत्तर संख्या 1 में निहित है।
4	Provide fee details by the Lions club as lease of the public land during starting of the lease and as present.	उक्त भूमि का लीज रू0 50/– वार्षिक शुल्क पर स्वीकृत किया गया था शासन के निर्देशानुसार समिति का गठन करते हुए तत्कालीन अपर जिलाधिकारी द्वारा भूमि का मूल्यांकन रू0 6,74,00,000/– के सापेक्ष 10 प्रतिशत राशि अर्थात 67,40,000/– वार्षिक वसूल किये जाने का प्राविधान था।
5	Provide the copy of the communication of Lions club or Lions school management on which government took the decision to extend the lease.	उत्तर संख्या 1 में निहित है।

अतः उपरोक्तानुसार वांछित सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

12/06/2026

कर अधीक्षक
नगर पालिका परिषद, मीरजापुर

प्रेषक

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक, 27 जून, 201[illegible]

विषय: लायन्स स्कूल मीरजापुर की पालिका भूमि की लीज अवधि बढ़ाने के [illegible]

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 398/स्था0नि0लि0-2018 दिनांक 22.0[illegible] का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनहित में लायन्स [illegible] मीरजापुर की पालिका भूमि की लीज अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में उल्लेख किया जाना है कि नगर पालिका परिषद, मीरजापुर व [illegible] क्लब मीरजापुर के मध्य हुई लीज डीड के अनुसार नगर पालिका परिषद द्वारा [illegible] पश्चिम मार्ग स्थित भूखण्ड में से 62606 वर्ग फीट भूमि शिक्षण संस्थान (लायन्स [illegible] की स्थापना व संचालन हेतु 50 रुपये प्रति वर्ष किराये पर 30 वर्ष हेतु [illegible] मीरजापुर को रजिस्टर्ड लीज डीड दिनांक 21.04.1980 द्वारा आवंटित किया गया [illegible] लीज डीड की अवधि दिनांक 04.02.2010 को समाप्त हो चुकी है। नगर पालिका प[illegible] मीरजापुर बोर्ड की दिनांक 27.08.2016 व दिनांक 06.09.2018 की बैठक [illegible] प्रस्ताव में प्रश्नगत विद्यालय की लीज अवधि आगेतर न बढ़ाये जाने का प्रस्ताव [illegible] किया गया है। बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव एवं संकल्प लोक हित भावना के प्रतिकूल [illegible] लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि प्रश्नगत विद्यालय में वर्तमान में [illegible] 2500 छात्र/छात्रायें अध्ययनरत है एवं 145 कर्मचारी भी कार्यरत है।

3. उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-34 की उपधारा [illegible] निम्न व्यवस्था दी गई है:-

"राज्य सरकार स्वतः या रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त होने पर इस या किसी अधिनियमित के अधीन नगर पालिका या नगर पालिका की समिति या संयुक्त समिति [illegible] पारित संकल्प या नगर पालिका/ नगर पालिका समिति के किसी अधिकारी या [illegible] दिये गये आदेश या आगेतर निष्पादन का प्रतिषेध कर सकती है यदि उसकी राय [illegible] संकल्प या आदेश लोक हित को प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और किसी व्यक्ति [illegible] ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन किसी कार्य के किये [illegible] जाना किया जाना जारी रखने का प्रतिषेध कर सकती है"।

अतः लायन्स स्कूल मीरजापुर में अध्ययनरत 2500 छात्र/छात्राओं के भविष्य ... कर्मचारियों के भविष्य के दृष्टिगत जनहित में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 ...ारा 34 की उपधारा 1(ख) में दी गई उक्त व्यवस्था के आधार पर नगर पालिका ...द मीरजापुर के बोर्ड की बैठक दिनांक 17.08.2016 में पारित प्रस्ताव/ संकल्प ... ...त कर विद्यालय के बच्चों की शुल्क से हो रही आय के आधार पर पालिका हित ... डीड की पुरानी शर्तों (50रूपये प्रतिवर्ष किराया) को परिवर्तित करते हुए उसके स्थान ...द्यालय को दी गई पालिका की भूमि, 62606 वर्ग फिट का किराया निर्धारित स्थानीय ...ल रेट के अनुसार प्रतिवर्ष पालिका द्वारा वसूल किये जाने की शर्तों (जिस पर चीफ ...क्यूटिव लायन्स स्कूल मीरजापुर के पत्रांक एल.एस./158/2018-19 दिनांक 03. ...2019 द्वारा अपनी सहमति प्रदान की जा चुकी है) के साथ लायन्स स्कूल मीरजापुर की ... डीड की अवधि दिनांक 05.2.2010 से दिनांक 04.2.2040 (कुल 30 वर्ष) तक ...ये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लीज डीड की ... में उक्तानुसार परिवर्तन/संशोधन करते हुए लायंस स्कूल मीरजापुर द्वारा उपयोग में ...ी जा रही नगर पालिका परिषद, मीरजापुर की प्रश्नगत भूमि, जिसका क्षेत्रफल 62606 ...फीट है, का वर्तमान स्थानीय सर्किल रेट के अनुसार वार्षिक किराया निर्धारित करते हुए ...गत विद्यालय की लीज अवधि दिनांक 05.02.2010 से आगामी 30 वर्ष तक बढ़ाये ... के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

...- 1702 (1)/नौ-9-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।

निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सहायक निबन्धक, तहसील सदर मीरजापुर।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मीरजापुर।

चीफ एक्जीक्यूटिव, लायन्स स्कूल मीरजापुर।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनुसचिव।